



मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011
फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498
ई-मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in

मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों/कार्यालयों के अंतर्गत
सहायक ग्रेड-3, निम्न श्रेणी लिपिक एवं पंजीयन लिपिक के
सीधी भर्ती, सीधी भर्ती-बैकलॉग व संविदा के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु
संयुक्त चयन परीक्षा – 2011

परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम

ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	19.12.2011	
ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि	18.01.2012	
परीक्षा दिनांक व दिन	26.02.2012, रविवार	
परीक्षा शुल्क	सीधी भर्ती एवं संविदा भर्ती के पदों हेतु	अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए – 500/- अनु.जाति/अनु.जनजाति/निःशक्तजन के लिए – 250/-
	सिर्फ सीधी भर्ती-बैकलॉग के पदों हेतु	कोई शुल्क नहीं।
ऑनलाईन आवेदन-पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रु. 50/- अतिरिक्त देय होगा।		

समय सारणी

परीक्षा, दिनांक एवं दिन	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियों भरने का समय	प्रश्न-पत्र वितरण समय	प्रश्न-पत्र परीक्षण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
26.02.2012 रविवार	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 से 10:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 10:10 बजे	प्रातः 10:10 से 10:15 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 10:15 से 12:15 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :-

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
2. परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा कक्ष में सेलुलर, मोबाईल फोन, केल्वलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
4. ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जवाबदारी/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों/कार्यालयों के अंतर्गत
सहायक ग्रेड-3, निम्न श्रेणी लिपिक एवं पंजीयन लिपिक के सीधी भर्ती,
सीधी भर्ती-बैकलॉग व सविदा के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु संयुक्त चयन परीक्षा – 2011

विषय सूची

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्रं.
1.	अध्याय-1 – विभागों से प्राप्त प्रस्ताव पत्र एवं शासनादेश का विवरण तथा विभागवार रिक्त पदों की संख्या व आरक्षण तालिका की जानकारी	04-14
2.	अध्याय-2 – विभागीय चयन नियम	15-20
3.	अध्याय-3 – मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश	21-26
4.	प्रारूप-1 – प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन	27
5.	अध्याय-4 – लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम	28

विभागवार रिक्त पदों का विवरण

भर्ती का प्रकार	प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग का नाम, जिनमें पद रिक्त है	श्रेणीवार उपलब्ध पद संख्या				
		अना.	अजा	अजजा	अपिव	कुल
सहायक ग्रेड-3 के विभागवार रिक्त पदों का विवरण :-						
● सीधी भर्ती	1. संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग	205	39	78	39	361
	2. महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश	64	26	36	23	149
	3. लोक अभियोजन संचालनालय, मध्यप्रदेश	30	0	0	0	30
	4. नियंत्रक, नाप-तौल, मध्यप्रदेश	18	05	0	05	28
	5. मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, मध्यप्रदेश	06	03	10	03	22
	6. कार्यालय कलेक्टर, छतरपुर	08	03	01	02	14
	7. मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था	05	0	02	0	07
	8. भौमिकी एवं खनिकर्म संचालनालय, मध्यप्रदेश	0	0	0	01	01
कुल :-		336	76	127	73	612
● सीधी भर्ती- बैकलॉग	1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश	0	131	346	68	545
	2. आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश	0	73	81	15	169
	3. संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र.	0	60	89	0	149
	4. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल	0	22	57	0	79
	5. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, म.प्र.	0	15	35	17	67
	6. आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश	0	12	24	08	44
	7. संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग	0	13	14	08	35
	8. उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश	0	07	23	04	34
	9. लोक अभियोजन संचालनालय, मध्यप्रदेश	0	08	11	11	30
	10. तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश	01	08	14	02	25
	11. मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड	0	09	11	0	20
	12. कार्यालय कलेक्टर, रतलाम, मध्यप्रदेश	0	04	14	0	18
	13. संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश	0	06	05	02	13
	14. भौमिकी एवं खनिकर्म संचालनालय, मध्यप्रदेश	0	01	03	04	08

	15. संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय म.प्र.	0	04	04	0	08
	16. मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	0	01	03	04	08
	17. लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश	0	0	06	0	06
	18. मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लि.	0	02	03	0	05
	19. जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल	0	02	02	0	04
	20. राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश	0	01	0	01	02
	21. मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड	0	0	01	0	01
	कुल :-	01	379	746	144	1270
● संविदा भर्ती	1. कार्यालय कलेक्टर, छतरपुर, मध्यप्रदेश	03	01	0	01	05
	कुल :-	03	01	0	01	05
पंजीयन लिपिक के रिक्त पदों का विवरण :-						
● सीधी भर्ती	1. महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश	25	09	24	03	61
	कुल :-	25	09	24	03	61
निम्न श्रेणी लिपिक के रिक्त पदों का विवरण :-						
● सीधी भर्ती	1. एम.पी. स्टेट एगो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल	0	0	04	0	04
	कुल :-	0	0	04	0	04

कुल पदों की संक्षेपिका

स.क्रं.	पदों का विवरण	अना0	अजा	अजजा	अपिव	योग
1.	सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती, सीधी भर्ती-बैकलॉग एवं संविदा भर्ती के पद	340	456	873	218	1887
2.	पंजीयन लिपिक सीधी भर्ती के पद	25	09	24	03	61
3.	निम्न श्रेणी लिपिक सीधी भर्ती के पद	0	0	04	0	04
	महायोग :-	365	465	901	221	1952

-----0-----

अध्याय-1

विभागों से प्राप्त प्रस्ताव पत्र एवं शासनादेश का विवरण तथा
विभागवार रिक्त पदों की संख्या व आरक्षण तालिका की जानकारी

महत्वपूर्ण :

इस संयुक्त परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे सभी आवेदकों पर नियमपुस्तिका में दिए गए सभी नियम, शर्तें व जानकारी लागू होंगे तथा सभी आवेदकों को इनका सूक्ष्म अध्ययन कर पालन करना होगा। संयुक्त परीक्षा में सम्मिलित विभागों/कार्यालयों, उनके अंतर्गत रिक्त श्रेणीवार/संवर्गवार पदों की जानकारी नीचे उल्लेखित है। विभिन्न विभागों/कार्यालयों के रिक्त पदों को घटाने, बढ़ाने अथवा परिवर्तन करने का अधिकार संबंधित विभाग/कार्यालयों को होगा तथा किया गया परिवर्तन आवेदकों को मान्य होगा।

कार्यालय/विभागवार पदों से संबंधित विवरण :-

(1) – संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल

सामान्य :

संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रं./मबावि/स्था/2011/8340, दिनांक 17.11.2011 तथा विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-1(ए)-12/2010/50-ए, दिनांक 12.07.2011 के अनुसार संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश के सभी 50 जिलों एवं विकासखण्डों पर रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती के कुल 361 तथा सीधी भर्ती-बैकलॉग के कुल 35 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती के पदों हेतु आरक्षण तालिका :-

स. क्रं.	श्रेणी	निल		विकलांग		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित (UR)	121	52	08	04	14	06	205
2.	अनुसूचित जाति (SC)	23	10	01	01	03	01	39
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	46	19	03	02	06	02	78
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	23	10	01	01	03	01	39
योग :-		213	91	13	08	26	10	361

नोट- विकलांगों के लिए आरक्षित 6% पदों में से 2% अस्थिबाधित, 2% श्रवणबाधित एवं 2% दृष्टिबाधित विकलांगों के लिए आरक्षित रहेंगे।

सीधी भर्ती-बैकलॉग के पदों हेतु आरक्षण तालिका :-

स. क्रं.	श्रेणी	निल		विकलांग		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	07	04	01	0	01	0	13
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	08	04	01	0	01	0	14
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	05	02	0	0	01	0	8
योग :-		20	10	02	0	03	0	35

नोट- विकलांगों के लिए आरक्षित उपरोक्त दोनों पद श्रवणबाधित के लिए आरक्षित रहेंगे।

(2) – महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश
पंजीयन भवन, पुरानी विधान सभा के सामने, भोपाल – 462003

सामान्य : सहायक ग्रेड-3 के पदों हेतु :-

कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश के पत्र क्रं. 52/स्था.सेवा/2010, दिनांक 31.01.2011 एवं शासन का आदेश क्रं.बी-7/बी/34/09/2/पॉच, दि. 18.03.2010 के अनुसार महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती के कुल 149 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

सहायक ग्रेड-3 की आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		विकलांग		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित (UR)	38	16	03	01	04	02	64
2.	अनुसूचित जाति (SC)	15	07	01	0	02	01	26
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	21	09	01	01	03	01	36
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	14	06	01	0	01	01	23
योग :-		88	38	06	02	10	05	149

नोट- विकलांगों के लिए आरक्षित 6% पदों में से 2% अस्थिबाधित, 2% श्रवणबाधित एवं 2% दृष्टिबाधित विकलांगों के लिए आरक्षित रहेंगे।

सामान्य : पंजीयन लिपिक के पदों हेतु :-

कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश के पत्र क्रं. 402/स्था.सेवा/2010, दिनांक 24.09.2011 एवं शासन का आदेश क्रं. 6(ए)44/01/1/पॉच दि. 18.10.2005 के अनुसार महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश के अंतर्गत रिक्त पंजीयन लिपिक सीधी भर्ती के कुल 61 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

पंजीयन लिपिक की आरक्षण तालिका :

स.क्रं.	श्रेणी	निल		विकलांग		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित (UR)	15	06	01	0	02	01	25
2.	अनुसूचित जाति (SC)	06	02	0	0	01	0	09
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	15	06	01	0	01	01	24
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	01	0	0	0	0	03
योग :-		38	15	02	0	04	02	61

नोट- विकलांगों के लिए आरक्षित 6% पदों में से 2% अस्थिबाधित, 2% श्रवणबाधित एवं 2% दृष्टिबाधित विकलांगों के लिए आरक्षित रहेंगे।

(3) – लोक अभियोजन संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन

भदभदा रोड, भोपाल

सामान्य :

लोक अभियोजन संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं./लोक अभि.संचा./स्था.1/901/11, दिनांक 28.07.2011 एवं पत्र क्रं./लोक.अभि.संचा./स्था-1/1549/11, दिनांक 16.11.2011 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रं. सी-3-3/2011/3, दिनांक 25.02.2011 के अनुसार लोक अभियोजन संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन के रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती के कुल 30 तथा सीधी भर्ती-बैकलॉग के कुल 30 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		विकलांग		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित (UR)	17	08	02	0	02	01	30

सीधी भर्ती-बैकलॉग के पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		विकलांग		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	04	02	01	0	01	0	08
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	06	03	01	0	01	0	11
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	07	03	0	0	01	0	11
योग :-		17	08	02	0	03	0	30

(4) – नियंत्रक, नाप-तौल, मध्यप्रदेश, भोपाल

सामान्य :

कार्या. नियंत्रक, नाप-तौल, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रं. 5601/नातौ/आरक्षण/2010, दि. 20.12.2010 एवं मध्यप्रदेश शासन, खाद्य विभाग के आदेश क्रं. 2075/2008/उन्तीस(2), दिन. 13.10.2008, क्रं. 13-2/2009 /उन्तीस(2), दिनांक 13.01.2009, आदेश क्रं. 13-2/2009/उन्तीस (2), दि. 02.02.2010 एवं एफ13-9/2011/उन्तीस(2), दिनांक 02.11.2011 के अनुसार कार्यालय नियंत्रक, नाप-तौल, मध्यप्रदेश के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती के कुल 28 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

आरक्षण तालिका :

स.क्रं.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित (UR)	11	05	01	01	18
2.	अनुसूचित जाति (SC)	03	01	01	0	05
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	01	01	0	05
योग :-		17	07	03	01	28

(5) – मुख्य अभियंता (विद्युत/सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, मध्यप्रदेश

सामान्य :

कार्यालय मुख्य अभियंता (विद्युत/सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, मध्यप्रदेश के पत्र क्रं. /ई/5361-1/466/मुअ, दिनांक 01.01.2011 एवं मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-6-1/2002/आप्र, दिनांक 24.08.2011 के अनुसार कार्यालय मुख्य अभियंता (विद्युत/सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, मध्यप्रदेश में सहायक ग्रेड-3 के रिक्त 22 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

आरक्षण तालिका :-

स. क्रं.	श्रेणी	निल		विकलांग		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित (UR)	0	0	04 (दृष्टिबाधित-2) (श्रवणबाधित-2)	02 (अस्थिबाधित-2)	0	0	06
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	01	0	0	0	0	03
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	06	03	0	0	01	0	10
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	01	0	0	0	0	03
योग :-		10	05	04	02	01	0	22

(6) – कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश

सामान्य :

कार्यालय कलेक्टर, जिला छतरपुर के पत्र क्रं. 424/स्थापना/2011, दि. 31.05.2011, पत्र क्रं. 892/स्थापना /2011, दि. 09.11.2011 एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3-3/2011/3/एक, दिनांक 25.10.2011 के अनुसार कार्यालय कलेक्टर, जिला छतरपुर में रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती के कुल 14 पदों एवं संविदा भर्ती के 05 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

आरक्षण तालिका (सीधी भर्ती) :-

स.क्रं.	श्रेणी	निल		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित (UR)	05	03	08
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	01	03
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	0	01
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	0	02
योग :-		10	04	14

आरक्षण तालिका (संविदा भर्ती) :-

स.क्रं.	श्रेणी	निल		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित (UR)	03	0	03
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	0	01
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	0	01
योग :-		05	0	05

(7) – मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल

सामान्य :

मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल के पत्र क्रं. 6155/स्था/अजाजनजा/बैक/340/07-10, दिनांक 31.03.2010 एवं पत्र क्रं. 5921/स्था/अजा/अजजा/340/07-11, दि. 02.12.2011 के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती के कुल 07 पद की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती के रिक्त पदवार आरक्षण तालिका :-

स.क्रं.	श्रेणी	निल		विकलांग		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित (UR)	02	0	01 (श्रवणबाधित)	0	01	01	05
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	0	01	0	0	01	0	02
योग :-		02	01	01	0	02	01	07

(8) – संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल

सामान्य :

संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रं. 259/स्था/न.क्र.202/02, दि.04.01.2011 तथा मध्यप्रदेश शासन का आदेश क्रं. बी-7/बी/34/09/2/पॉच, दिनांक 18.03.2010 के अनुसार संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती-बैकलॉग के कुल 08 पदों तथा सीधी भर्ती के कुल 01 पद की जानकारी निम्नानुसार है :-

सीधी भर्ती के रिक्त पदों की आरक्षण तालिका :-

स.क्रं.	श्रेणी	निल		पूर्व कर्मचारी		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	0	0	0	0	0	01
योग :-		01	0	0	0	0	0	01

सीधी भर्ती-बैकलॉग के रिक्त पदों की आरक्षण तालिका :-

स. क्रं.	श्रेणी	निल		विकलांग		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	01	0	0	0	0	0	01
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	0	02	01 (दृष्टि बाधित 50%)	0	0	0	03
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	01	0	0	0	0	04
योग :-		04	03	01	0	0	0	08

(9) – आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

सामान्य :

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल के पत्र क्रं. 1854/आउशि/शा-4/2011, दिनांक 02.12.2011 के अनुक्रम में सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती-बैकलॉग के कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा के अंतर्गत रिक्त संभावित 16 पदों एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों तथा महाविद्यालयों के अंतर्गत रिक्त संभावित 529 पदों, कुल 545 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

आरक्षण तालिका : कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा :-

स.क्रं.	श्रेणी	संभावित रिक्तियों
1.	अनुसूचित जाति (SC)	07
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	09
योग :-		16

महाविद्यालय :-

स.क्रं.	श्रेणी	संभावित रिक्तियों
1.	अनुसूचित जाति (SC)	124
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	337
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	68
योग :-		529

नोट- महाविद्यालयों की उपरोक्त रिक्तियों परिवर्तनीय है, जिसमें क्षेत्रीय आरक्षण लागू है, जिसका निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करने के पूर्व किया जायेगा।

(10) – वाणिज्यिक कर आयुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर

सामान्य :

कार्यालय वाणिज्यिक कर आयुक्त, मध्यप्रदेश के पत्र क्रं. 31/2010/5-अ/9/685, दि. 11.10.2010 तथा म.प्र. शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के ज्ञापन क्रं. 2603/3428/2010 /1/5, दि. 06.09.2010 के अनुसार कार्यालय वाणिज्यिक कर आयुक्त, म.प्र. के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती-बैकलॉग के कुल 169 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		विकलांग		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	40	22	04	0	07	0	73
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	44	24	05	0	08	0	81
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	07	05	01	0	02	0	15
योग :-		91	51	10	0	17	0	169

(11) – संचालनालय किसान कल्याण एवं कृषि विकास, मध्यप्रदेश

सामान्य :

संचालनालय किसान कल्याण एवं कृषि विकास, मध्यप्रदेश के पत्र क्रं. /अ-2-7/स्था0/2010/5011, दि. 22.09.2011 तथा किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के ज्ञान क्रं./ए-1-ए/10/208/14-1, दि. 18.06.2009 एवं ज्ञाप क्रं. 4381/2927/2011/14-1, दि. 13.09.2011 के अनुक्रम में संचालनालय किसान कल्याण एवं कृषि विकास, मध्यप्रदेश में रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती-बैकलॉग के कुल 149 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

आरक्षण तालिका :-

स. क्रं.	श्रेणी	निल		विकलांग		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	36	15	02	01	04	02	60
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	52	23	04	01	06	03	89
योग :-		88	38	06	02	10	05	149

(12) – मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल

सामान्य :

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रं. एफ-2-9/2010/एक/7-1/स्था. दि. 28.10.2010, पत्र क्रं. एफ-2-9/2010/एक/7-1/स्था0, दि. 25.06.2011 तथा पत्र क्रं. एफ-6-1/2002/आ.प्र./एक, दि. 07.08.2010 के अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय में रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती-बैकलॉग के कुल 79 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		विकलांग		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	12	07	01	0	02	0	22
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	31	17	03	0	06	0	57
योग :-		43	24	04	0	08	0	79

(13) – आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश, भोपाल

सामान्य :

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रं. स्था/5/2011/103, दिनांक 10.01.2011 एवं मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं. एफ/1-46/2010/15-2, दि.28.08.2010 के अनुसार आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती-बैकलॉग के कुल 67 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		विकलांग		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	08	03	02 (अस्थिबाधित)	0	02	0	15
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	20	09	02 (दृष्टिबाधित)	0	03	01	35
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	10	04	01 (श्रवणबाधित)	0	02	0	17
योग :-		38	16	05	0	07	01	67

(14) – आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

सामान्य :

कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पत्र क्रं. 1(स)स्था./बि.भ.37-08/09/2436 दि. 15.12.2009, पत्र क्रं. 1(बी)आब/आर/2009/2335, दि. 04.10.2010, म.प्र. शासन के ज्ञाप क्रं.एफ-6-1/2002/आ.प्र./एक, दि. 19.09.2002 के रोस्टर अनुसार तथा मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग का पत्र क्रं. एफ-6(ए)44/2001/1/पाँच, दि. 03.08.2005 से सीधी भरती हेतु प्राप्त स्वीकृति अनुसार कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती-बैकलॉग के कुल 44 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		विकलांग		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	07	04	0	0	01	0	12
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	14	07	02 (अस्थिबाधित-1) (श्रवणबाधित-1)	0	01	0	24
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	04	02	01 (अस्थिबाधित)	0	01	0	08
योग :-		25	13	03	0	03	0	44

(15) – उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

सामान्य :

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रं. 14/स्था/(1)/07/17266, दि.11.11.2009 एवं म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन दिनांक 23.07.2009 के अनुसार उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती-बैकलॉग के कुल 34 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

आरक्षण तालिका :

स.क्रं.	श्रेणी	निल		विकलांग		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	05	01	0	01	07
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	14	08	01	0	23
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	01	0	0	04
योग :-		22	10	01	01	34

(16) – तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश

सामान्य :

तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश के पत्र क्रं./3/स्था/बी/2011/1492, दिनांक 11.11.2011 के अनुसार सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती-बैकलॉग के तकनीकी शिक्षा संचालनालय में रिक्त 04 पदों तथा तकनीकी शिक्षण संस्थायें (इंजीनियरिंग महाविद्यालय/पोलीटेक्निक महाविद्यालय) में रिक्त 21 पदों, कुल 25 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

आरक्षण तालिका :-

स. क्रं.	श्रेणी	निल		विकलांग		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित (UR)	0	0	01 (अस्थिबाधित)	0	0	0	01
2.	अनुसूचित जाति (SC)	03	01	03 (दृष्टिबाधित-1) (अस्थिबाधित-1) (श्रवणबाधित-1)	01 (दृष्टिबाधित-1)	0	0	08
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	09	04	01 (दृष्टिबाधित-1)	0	0	0	14
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	0	0	0	0	0	02
योग :-		14	05	05	01	0	0	25

(17) – मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल

सामान्य :

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल के पत्र क्रं. बोर्डकामिर्क/ख/विविध/121/501, दि. 05.08.2011 एवं शासन का ज्ञाप क्रं. सी-3-3/2011/3/एक, दि. 25.02.2011 के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती-बैकलॉग के कुल 20 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		विकलांग		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	04	03	01	0	01	0	09
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	06	03	01	0	01	0	11
योग :-		10	06	02	0	02	0	20

(18) – कलेक्टर, रतलाम, मध्यप्रदेश

सामान्य :

कार्यालय कलेक्टर रतलाम, मध्यप्रदेश के पत्र क्रं. 4596, दिनांक 19.09.2011 एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञाप क्रं. एफ-6-1/2002/आ.प्र./एक, दिनांक 24.08.2011 के अनुसार कार्यालय कलेक्टर, रतलाम, मध्यप्रदेश के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती-बैकलॉग के कुल 18 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

आरक्षण तालिका :

स.क्रं.	श्रेणी	निल		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	04	0	04
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	14	0	14
योग :-		18	0	18

(19) – संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल

सामान्य :

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल के पत्र क्रं. स्था-3/सा-213/2011/13908, दिनांक 15.11.2011 एवं मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का ज्ञाप क्रं. एफ-4-26/2010/18-1, दिनांक 31.03.2010 के अनुसार संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती-बैकलॉग के कुल 13 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

आरक्षण तालिका :

स. क्रं.	श्रेणी	निल		विकलांग		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	02	03	0	01 (अस्थिबाधित)	0	0	06
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03	02	0	0	0	0	05
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	0	01 (दृष्टिबाधित)	0	0	0	02
योग :-		06	05	01	01	0	0	13

(20) – संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

सामान्य :

संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रं. 3043/स्था./2011, दिनांक 16.11.2011 एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञाप क्रं. 6-1/202/आ.प्र./एक, दिनांक 24.08.2011 के अनुसार संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय, मध्यप्रदेश के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती-बैकलॉग के कुल 08 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

आरक्षण तालिका :

स.क्रं.	श्रेणी	निल		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	03	01	04
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03	01	04
योग :-		06	02	08

(21) – मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल

सामान्य :

मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल के पत्र क्रं. स्था/4(1)/28/11-12/2904, दिनांक 09.08.2011 मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञाप क्रं. सी-3-3/2011/3/एक, दिनांक 25.02.2011 के अनुसार मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती-बैकलॉग के कुल 08 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

आरक्षण तालिका :

स.क्रं.	श्रेणी	निल		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	01	0	01
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03	0	03
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	04	0	04
योग :-		08	0	08

(22) – लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

सामान्य :

लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रं. 1699/स्था./2011, दिनांक 09.11.2011, पत्र क्रं. /1874/स्थापना/2011, दिनांक 01.12.2011 एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रं. एफ-3(6)/2010/1-10, दिनांक 21.10.2011 के अनुसार लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती-बैकलॉग के कुल 06 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

आरक्षण तालिका :

स.क्रं.	श्रेणी	निल		विकलांग		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जनजाति (ST)	05	0	01 (अस्थिबाधित)	0	0	0	06
योग :-		05	0	01	0	0	0	06

(23) – मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, भोपाल

सामान्य :

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, भोपाल के पत्र क्रं. लउनि/कार्मिक/नक्र/147/2011/984, दिनांक 17.08.2011 एवं पत्र क्रं./लउनि/कार्मिक/न.क्र.147/2011/1442, दिनांक 08.12.2011 के अनुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, भोपाल के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती-बैकलॉग के कुल 05 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

आरक्षण तालिका :

स.क्रं.	श्रेणी	निल		विकलांग		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	01	0	01	0	02
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	01	01	0	03
योग :-		02	01	02	0	05

नोट:- विकलांग संवर्ग अंतर्गत दोनों पद अस्थिबाधित विकलांगों के लिए आरक्षित हैं।

(24) – जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

सामान्य :

जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रं./5623/सामान्य स्थापना/2011, दिनांक 18.11.2011 एवं पत्र क्रं./16332/प्रहरी-स्थापना/2011, दिनांक 01.12.2011 के अनुसार जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती-बैकलॉग के कुल 04 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

आरक्षण तालिका :

स.क्रं.	श्रेणी	निल		विकलांग		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	01	0	0	0	01	0	02
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	0	01 (श्रवणबाधित)	0	0	0	02
योग :-		02	0	01	0	01	0	04

(25) – राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

सामान्य :

राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रं./3354/रास/स्था/201, दिनांक 02.12.2011 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञाप क्रं. सी-3-3/2011/3/एक, दिनांक 25.02.2011 के अनुसार राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती-बैकलॉग का कुल 02 पद की जानकारी निम्नानुसार है :-

आरक्षण तालिका :

स.क्रं.	श्रेणी	निल		विकलांग		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	0	0	01	0	01
2.	अनुसूचित जाति (ST)	01	0	0	0	01
योग :-		01	0	01	0	02

(26) – मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड, भोपाल

सामान्य :

कार्यालय मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड, भोपाल के पत्र क्रं./वाकअबो/स्था/360/11/2176, दिनांक 21.11.2011, पत्र क्रं./360/स्था/11/2258, दिनांक 30.11.2011 तथा मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग के ज्ञाप क्रं. 4613/2673/2011/1/5, दिनांक 09.11.2011 के अनुसार कार्यालय मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड, भोपाल के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती-बैकलॉग का कुल 01 पद की जानकारी निम्नानुसार है :-

आरक्षण तालिका :

स.क्रं.	श्रेणी	निल		विकलांग		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	0	0	0	0	0	01
योग :-		01	0	0	0	0	0	01

(27) – एम.पी. स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल

सामान्य :

एम.पी. स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के पत्र क्रं./मुख्या/एचआरडी/2011/6032, दिनांक 29.11.2011 के अनुसार एम.पी. स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत रिक्त निम्न श्रेणी लिपिक सीधी भर्ती के कुल 04 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

आरक्षण तालिका :

स.क्रं.	श्रेणी	निल		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जनजाति (ST)	04	0	04
योग :-		04	0	04

---- 0 ----

अध्याय-2

विभागीय चयन नियम

2.1 परिभाषाएँ :-

“आरक्षण” से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण।

“अनुसूचित जाति” से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

“अनुसूचित जन जाति” से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जन जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

“अन्य पिछड़े वर्ग” से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक -एफ-8-5 पच्चीस-4-84 तारीख 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग किसी रिक्त के संबंध में।

“भर्ती का वर्ष” से अभिप्रेत है किसी वर्ष की पहली जनवरी को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की कालावधि, जिसके भीतर ऐसी रिक्त के प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ की जाती है।

“भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है” ऐसा व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्र बलों में जिसमें भूतपूर्व भारतीय रियासतों के सयुक्त सशस्त्र बल भी सम्मिलित है, किसी भी रैंक” (लड़ाकू या गैर लड़ाकू) में कम से कम लगातार छः मास की कालावधि तक सेवा की और-

- (1) जिसे स्वयं के निवेदन पर या अक्षमता के कारण पदच्युत, सेवोन्मुक्त किये जाने से अन्यथा निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी नियुक्त के लंबित रहने तक रिजर्व में अंतरित किया गया है, या
- (2) जिसे उपरोक्तानुसार निर्मुक्त या अन्तरित किये जाने का हकदार होने के लिये अपेक्षित सेवा की कालावधि पूरी करने हेतु छः माह से अनधिक अवधि के लिये करनी पडी हो,
- (3) जिसे संघ के सशस्त्र बल में पांच वर्ष की पूर्ण करने के पश्चात स्वयं के निवेदन पर निर्मुक्त किया गया हो।

“मंडल” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल।

“विभाग” से अभिप्रेत है वह कार्यालय/विभाग जिसके अंतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है। विभागों व रिक्त पदों का विवरण नियमपुस्तिका के अध्याय-1 में दिया गया है।

2.2 पद से संबंधित विवरण :

पदनाम :- सहायक ग्रेड-3, निम्न श्रेणी लिपिक एवं पंजीयन लिपिक

वेतनमान :- 5200-20200 + 1900 ग्रेड पे

(संविदा के पदों हेतु निश्चित वेतन {Consolidated Payment} रु. 8,236/- प्रतिमाह होगा।)

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :-

- (1) हायर सेकेंडरी परीक्षा (पुरानी प्रणाली) या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) प्रणाली में उत्तीर्ण होना चाहिए।
- (2) मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद्/बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण हो या मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद्/बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- (3) निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है :-

1- Diploma from all Universities recognized by UGC.

2- Diploma from all Open Universities recognized by UGC.

3- Diploma level examination from DOEACC.

4- Modern Office Management Course from Govt. Polytechnic College.

2.3 नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में :-

- (I) पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को या तो :-
- (क) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिये, या
- (ख) आवेदक को सिविकम की प्रजा होना चाहिये, या
- (ग) भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्तान से आया हो, या
- (घ) नेपाल की या भारत स्थित किसी पुर्तगाली या फ्रांसीसी प्रदेश की प्रजा होना चाहिये।

टिप्पणी :-

- उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) में निर्दिष्ट उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके पक्ष में राज्य शासन द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के अध्यक्षीन होगी। उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के संबंध में पात्रता का प्रमाण-पत्र उसकी नियुक्ति के दिनांक से केवल एक वर्ष की अवधि के लिये ही वैध होगा और उसके पश्चात् उसे सेवा में केवल उस स्थिति में ही रखा जा सकेगा, यदि वह भारत का नागरिक बल जाए, तथापि पात्रता के प्रमाण-पत्र निम्नलिखित किसी एक प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के मामले में आवश्यक नहीं होंगे।
 - ऐसे व्यक्ति, जो 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आये थे और तब से भारत में मामूली तौर से, निवास कर रहे हैं।
 - ऐसे व्यक्ति जो 18 जुलाई 1948 के पश्चात् पाकिस्तान से भारत आये थे और जिन्होंने स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीयत करा लिया है।
 - उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) के अंतर्गत आने वाले गैर नागरिक जो संविधान के प्रारंभ होने अर्थात् दिनांक 26 जनवरी 1950 के पूर्व शासन की सेवा में प्रविष्ट हुए थे और जो उस समय से अभी तक ऐसी सेवा में हैं।
 - किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यक्षीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण-पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।
- (II) ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा तथा उनकी आयु सीमा 01 जनवरी 2012 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए।

2.4 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा :-

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं. सी-18-15/91/3/1, दिनांक 03.02.1992 के अनुसार अभ्यर्थी की आयु सीमा 01 जनवरी 2012 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं.सी-3-5/2001/3/1, दि. 17.08.2004 के अनुसार निम्न संवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को निम्नानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है :-

स.क्रं.	आवेदक	श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा
1.	पुरुष	सामान्य/अनारक्षित	35 वर्ष
2.	पुरुष	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा/अपिवर्ग)	40 वर्ष
3.	महिला	सामान्य वर्ग	35+10=45 वर्ष
4.	महिला	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा/अपिवर्ग)	35+5+10=50 वर्ष
5.	महिला	सामान्य वर्ग (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	35+10+5=50 वर्ष
6.	महिला	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा/अपिव) (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	35+5+10+5=55 वर्ष

2.4.1 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें :-

- (क) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. सी-3-40-आ-84-(3)1, दिनांक 11.01.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जावेगी।

- (ख) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. सी-3-10-85-3-1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जावेगी।
- (ग) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. सी-3-18-85-3-1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

2.4.2 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों की आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण :-

- (क) निःशक्तजनों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट रहेगी।
- (ख) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ-सी-3/12/2010/1/3, दिनांक 04.06.2010 के अनुसार राज्य शासन के शासकीय सेवकों एवं मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल, स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को तथा नगर सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के लिए (05 वर्ष की अतिरिक्त छूट देते हुए) 45 वर्ष रहेगी।
- (ग) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
- (घ) ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :- शब्द "छटनी" किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था।

- (ङ.) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :- शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारिशों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :-

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति-रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और
 - (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर
 - (ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,
- (3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी
- (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।
- (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो।
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों।

- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे ।
- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों के अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी जिनके पास श्रम विभाग के ज्ञापन क्रं. 3345-4005-सोलह, तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की शिथिल की जा सकेगी।

ऐसा व्यक्ति जो 1.1.1963 के बाद रा.छ.सेना में पूर्णकालिक केडट अनुदेशक के रूप में भरती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक वांछित सेवावधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय छात्र सेना से निर्मुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

- टीप- (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग-पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- (2) यदि कोई आवेदक निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा।

2.5 चयन का आधार :-

उक्त पद पर चयन हेतु मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा केवल लिखित परीक्षा ली जावेगी। मण्डल द्वारा साक्षात्कार/प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन नहीं किया जायेगा। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्नों, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का (कुल 100 अंक) व दो घंटे की समयावधि का एक प्रश्न-पत्र हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में होगा। प्रश्न-पत्र का पाठ्यक्रम निम्नानुसार रहेगा :-

स.क्रं.	विषय	प्रश्नों की संख्या
1.	मध्यप्रदेश का सामान्य ज्ञान	25
2.	सामान्य हिन्दी	25
3.	प्रारंभिक गणित	10
14.	कम्प्यूटर ज्ञान	40
कुल प्रश्न :-		100

2.6 प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची :-

मण्डल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के प्राप्तकों तथा अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में दिए गए विभागों के प्राथमिकताक्रम विकल्प के आधार पर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रेणीवार/संवर्गवार पदों की संख्या के अनुसार मण्डल द्वारा प्रावीण्य व प्रतीक्षा सूची तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी।

2.7 पारस्परिक वरीयता :

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची निर्धारित होगी, परन्तु यदि दो व्यक्तियों के प्राप्तांक समान होने पर आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

2.8 सत्यापन/परीक्षण के समय आवश्यक प्रमाण-पत्रों का विवरण :-

2.8.1 स्थाई निवासी प्रमाण-पत्र :-

मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में नायब तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र धारक होना चाहिए।

- 2.8.2 जाति प्रमाण-पत्र :-
मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के पास अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
- 2.9.3 विकलांग प्रमाण-पत्र :-
मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी विकलांग संवर्ग के उम्मीदवार के पास शासन के नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
- 2.9.4 भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण-पत्र :-
भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के उम्मीदवार के पास शासन के नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
- 2.10 दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों का परीक्षण व चरित्र सत्यापन :
लिखित परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा जारी प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची के आधार पर संबंधित विभागों द्वारा चयन/नियुक्ति आदेश जारी किये जाने के पूर्व समस्त मूल दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों आदि का सत्यापन/परीक्षण संबंधित विभागों द्वारा किया जायेगा।
विभागों द्वारा चाहे गए समस्त प्रपत्र/दस्तावेज/प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप अनुसार अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति/सत्यापन/परीक्षण के समय संबंधित विभागों के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ कोई भी प्रमाण-पत्र/दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है।
- 2.11 अभ्यर्थिता/चयन के संबंध में निर्हर्ताएँ/जानकारी :-
- (क) पररूपण धारण (इम्प्रसोनेशन) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूपण धारण कराया हो, कार्यवाही करने पर आवेदक परीक्षा से अयोग्य घोषित किये जायेंगे।
- (ख) पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।
- (ग) ऐसा पुरुष उम्मीदवार जिसने 21 वर्ष की आयु के पूर्व तथा ऐसी महिला उम्मीदवार जिसने 18 वर्ष की आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, लिखित परीक्षा के लिए अनर्ह माना जायेगा।
- (घ) जिसकी दो से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है, परंतु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।
- (ङ) कोई भी उम्मीदवार जिसके विरुद्ध आपराधिक मामला न्यायालय में विचारित है अथवा न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है अथवा जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह होगा।
- (च) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये निरर्हित माना जा सकेगा।
- (छ) शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ न पाया जाये।
- (ज) फर्जी दस्तावेज/दस्तावेज फेरबदल किया हो/चयन के स्तर पर जानकारी छुपाई हो/सारभूत जानकारी छुपाई हो।
- 2.12 नियुक्ति की शर्तें :
- चयनित अभ्यर्थियों पर संबंधित विभाग के विभागीय नियम व नियुक्ति की शर्तें लागू होगी, जिनका उन्हें पालन करना होगा। नियुक्ति के पूर्व संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन कराया जायेगा तथा नियुक्ति के समय विभागों के नियमानुसार अनुबंध-पत्र का निष्पादन किया जावेगा।

2.12.1 संविदा के पदों हेतु नियुक्ति की शर्तें :-

- (1) सहायक ग्रेड-3 संविदा आधार पर नियुक्ति के पदों का निश्चित वेतन (Consolidated Payment) रू. 8,236/- प्रतिमाह अथवा विभाग द्वारा निर्धारित देय होगा तथा संविदा अवधि में उपरोक्त देय निश्चित वेतन में कोई वृद्धि नहीं होगी।
- (2) संविदा के पद पूर्णतः अस्थाई एवं अनुबंधित है। इन पदों का मध्यप्रदेश शासन/संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा म.प्र. ग्वालियर अंतर्गत विभाग में कोई धारणाधिकार नहीं होगा। किसी भी पक्षकार (शासन अथवा संविदा सहायक ग्रेड-3) द्वारा एक माह की सूचना देकर अथवा एक माह का संविदा वेतन भुगतान अथवा जमा कर सेवा को समाप्त किया जा सकेगा। सुपरविजन अधिकारी की प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
- (3) कार्य की गोपनीयता बनाये रखना आवश्यक होगा।
- (4) शासकीय कार्य से यात्रायें करने पर तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के समान यात्रा भत्ता की पात्रता होगी।
- (5) अवकाश :- एक वर्ष में 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश तथा तीन दिवस के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। महिला कर्मचारियों की दशा में 90 दिवस के मातृत्व अवकाश एवं पुरुष कर्मचारियों की दशा में 15 दिवस का पितृत्व अवकाश की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

2.13 यात्रा भत्ता का भुगतान :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र क्रं. एफ-6-1/2002/आ.प्र./एक, दिनांक 19.09.2002 के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में उपस्थित होने पर विभाग की रिक्तियों के मान से आवेदकों की संख्या के अनुपात में संबंधित विभागों द्वारा यात्रा भत्ता का भुगतान किया जायेगा।

2.14 न्याय क्षेत्र/अधिकार :-

इन विभागीय नियमों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में जवाबदेह संबंधित विभाग होगा तथा इसका न्याय क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर तक सीमित होगा।

-----0-----

अध्याय – 3

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल
संयुक्त परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश

महत्वपूर्ण निर्देश :-

- 3.1 यह संयुक्त परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें विभागों/कार्यालयों के रिक्त पदों हेतु विकल्प रहेगा, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी अर्हता/योग्यता अनुसार जिन विभागों में पद रिक्त है, उन विभागों की प्राथमिकता का क्रम स्पष्ट रूप से दिया जाना होगा। आवेदक द्वारा दिए गए विभाग की प्राथमिकता के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जायेगी। पद/विभाग विकल्प का विवरण निम्नानुसार है। सुलभ संदर्भ हेतु विभागवार पदों की आरक्षण तालिका आवश्यक रूप से देखें तथा श्रेणीवार पदों की उपलब्धता अनुसार ही पद व विभाग के प्राथमिकता क्रम दर्शावें :-

भर्ती का प्रकार	प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग का नाम, जिनमें पद रिक्त है	श्रेणीवार उपलब्ध पद संख्या				
		अना.	अजा	अजजा	अपिव	कुल
सहायक ग्रेड-3 के विभागवार रिक्त पदों का विवरण :-						
● सीधी भर्ती	1. संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग	205	39	78	39	361
	2. महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश	64	26	36	23	149
	3. लोक अभियोजन संचालनालय, मध्यप्रदेश	30	0	0	0	30
	4. नियंत्रक, नाप-तौल, मध्यप्रदेश	18	05	0	05	28
	5. मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, मध्यप्रदेश	06	03	10	03	22
	6. कार्यालय कलेक्टर, छतरपुर	08	03	01	02	14
	7. मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था	05	0	02	0	07
	8. भौमिकी एवं खनिकर्म संचालनालय, मध्यप्रदेश	0	0	0	01	01
कुल :-		336	76	127	73	612
● सीधी भर्ती- बैकलॉग	1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश	0	131	346	68	545
	2. आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश	0	73	81	15	169
	3. संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र.	0	60	89	0	149
	4. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल	0	22	57	0	79
	5. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, म.प्र.	0	15	35	17	67
	6. आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश	0	12	24	08	44
	7. संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग	0	13	14	08	35
	8. उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश	0	07	23	04	34
	9. लोक अभियोजन संचालनालय, मध्यप्रदेश	0	08	11	11	30
	10. तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश	01	08	14	02	25
	11. मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड	0	09	11	0	20
	12. कार्यालय कलेक्टर, रतलाम, मध्यप्रदेश	0	04	14	0	18
	13. संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश	0	06	05	02	13
	14. भौमिकी एवं खनिकर्म संचालनालय, मध्यप्रदेश	0	01	03	04	08
	15. संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय म.प्र.	0	04	04	0	08
	16. मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	0	01	03	04	08
	17. लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश	0	0	06	0	06
	18. मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लि.	0	02	03	0	05
	19. जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल	0	02	02	0	04
	20. राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश	0	01	0	01	02
	21. मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड	0	0	01	0	01
कुल :-		01	379	746	144	1270
● संविदा भर्ती	1. कार्यालय कलेक्टर, छतरपुर, मध्यप्रदेश	03	01	0	01	05
	कुल :-		03	01	0	01

पंजीयन लिपिक के रिक्त पदों का विवरण :-						
● सीधी भर्ती	1. महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश	25	09	24	03	61
कुल :-		25	09	24	03	61
निम्न श्रेणी लिपिक के रिक्त पदों का विवरण :-						
● सीधी भर्ती	1. एम.पी. स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल	0	0	04	0	04
कुल :-		0	0	04	0	04

कुल पदों की संक्षेपिका

स.क्रं.	पदों का विवरण	अना0	अजा	अजजा	अपिव	योग
1.	सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती, सीधी भर्ती-बैकलॉग एवं संविदा भर्ती के पद	340	456	873	218	1887
2.	पंजीयन लिपिक सीधी भर्ती के पद	25	09	24	03	61
3.	निम्न श्रेणी लिपिक सीधी भर्ती के पद	0	0	04	0	04
महायोग :-		365	465	901	221	1952

- 3.2 ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा। अतः बाद में यदि यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग/म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा प्रवेश/चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 3.3 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ कोई भी प्रमाण-पत्र/दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है, किन्तु नियुक्ति के पूर्व समस्त प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों का सत्यापन विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी दृष्टिगोचर होने पर अभ्यर्थिता निरस्त समझी जायेगी।
- 3.4 स्क्रूटनी/ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

ऑनलाईन पद्धति से निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन-पत्रों की स्क्रूटनी निम्न बिन्दुओं पर की जायेगी :-

क्रं.	विवरण
1.	अभ्यर्थी का फोटो
2.	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
3.	श्रेणी
4.	संवर्ग
5.	लिंग
6.	मूल निवासी
7.	जन्मतिथि
8.	पदनाम जिसके लिए आवेदन किया गया है (सहायक ग्रेड-3/निम्न श्रेणी लिपिक/पंजीयन लिपिक)
9.	पद का प्रकार जिसके लिए आवेदन किया गया है (सीधी भर्ती/सीधी भर्ती-बैकलॉग/संविदा भर्ती)
10.	विभागों का विकल्प/प्राथमिकता क्रम, जिसके लिए आवेदन किया गया है

जिस अभ्यर्थी के आवेदन के साथ अभ्यर्थी का फोटो प्राप्त नहीं होता है, उसका आवेदन-पत्र अमान्य कर दिया जायेगा तथा किसी भी स्थिति में उसे मान्य नहीं किया जायेगा। शेष उपरोक्त स.क्रं. 02 से 11 तक की जानकारी के रिक्त होने की स्थिति में आवेदन-पत्र में संशोधन हेतु ऑनलाईन रेक्ट्रिफिकेशन (त्रुटि सुधार) की सुविधा प्राप्त होगी। उपरोक्त रेक्ट्रिफिकेशन व्यवस्था के अतिरिक्त आवेदन-पत्र में अन्य त्रुटि सुधार संबंधी यथोचित समयसीमा में मण्डल में प्राप्त होने वाले आवेदनों पर परीक्षा उपरांत यथासंभव कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु परिणाम घोषित होने के उपरांत इस प्रकार के त्रुटि सुधार संबंधी किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा, क्योंकि परिणाम घोषित होने के पश्चात् मण्डल functus officio बन जाता है।

3.5 निरस्त/त्रुटि सुधार की सूचना :-

मंडल कार्यालय द्वारा निरस्त/त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण आवेदन पत्र से संबंधित जानकारी मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड कर कर दी जायेगी। मंडल द्वारा पृथक से इसकी कोई सूचना नहीं दी जायेगी। उक्त त्रुटि सुधार हेतु परीक्षा पूर्व तक एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत क्योस्क के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित त्रुटि सुधार शुल्क रूपये 100/- एवं एम.पी. ऑनलाईन प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 50/- वेबसाईट www.vyapam.nic.in या www.mponline.gov.in पर जमा कर ऑनलाईन टेस्ट एडमिट कार्ड प्राप्त किया जा सकता है, जो परीक्षा केन्द्र पर मान्य होगा।

3.6 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

मण्डल द्वारा नियमानुसार मान्य आवेदन-पत्र के अभ्यर्थियों को ऑनलाईन प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराए जायेंगे। अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :- अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग करते हुए प्रवेश-पत्र उक्त वेबसाईट से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। मुद्रित किए हुए प्रवेश-पत्र को सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

नोट- प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.7 परीक्षा शहर व परीक्षा समय :-

1. बड़वानी	5. बुरहानपुर	9. धार	13. इन्दौर	17. मंदसौर	21. सागर	25. शहडोल
2. बालाघाट	6. छतरपुर	10. गुना	14. जबलपुर	18. राजगढ़	22. सतना	26. टीकमगढ़
3. बैतूल	7. छिंदवाड़ा	11. ग्वालियर	15. खण्डवा	19. रतलाम	23. सीहोर	27. उज्जैन
4. भोपाल	8. देवास	12. होशंगाबाद	16. खरगोन	20. रीवा	24. सिवनी	28. विदिशा

किसी परीक्षा शहर में अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर उसे परिवर्तित/निरस्त करने का अधिकार मण्डल सुरक्षित रखता है। लिखित परीक्षा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में प्रातः 10:00 से दोप. 12:15 बजे तक आयोजित की जायेगी। परीक्षा केन्द्र की जानकारी प्रवेश-पत्र पर अंकित होगी।

3.8 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

केवल प्रवेश-पत्र एवं काला बॉलप्वाइंट पेन।

3.9 इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात् Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales आदि पूर्णतः वर्जित है।

3.10 परीक्षा का प्रश्न-पत्र :-

लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्नों व दो घंटे की अवधि का एक प्रश्न-पत्र होगा, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा।

3.11 अनुचित साधन (Unfair Means, UFM) :-

अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) :- निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :-

(क) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।

(ख) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।

- (ग) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।
 (घ) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।
 (ङ.) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।
 (च) अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला-बदली करना।
 (छ) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।
 (ज) नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
 (झ) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
 (ञ) सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
 (ट) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।

उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौंपा जायेगा और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा।

विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

3.12 मूल्यांकन पद्धति :-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

3.13 त्रुटिपूर्ण प्रश्न, प्रश्नों का निरस्तीकरण एवं बदले में प्रदान किये जाने वाले अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

1. प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
2. प्रश्न की संरचना गलत हो।
3. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
4. कोई भी विकल्प सही न हो।
5. यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
6. कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
7. अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये।

प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \times 200}{(200 - 2)} = 90.91 \text{ rounded off to } 91.00$$

नोट :- सभी गणना को दो दशमलव तक राउंडऑफ किया जायेगा।

3.14 प्रश्नपुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :-

प्रश्न-पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रोफार्मा प्रारूप -1 में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

बिन्दु क्रमांक 3.13 अनुसार मण्डल द्वारा प्रश्न-पुस्तिका में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम "की" (आदर्श उत्तर) तैयार की जायेगी। आदर्श उत्तरों के संबंध में मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

3.15 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

अध्याय-1 से 4 में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाइट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होगा। परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त मण्डल की वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (Subject wise Model Answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

3.16 अंक सूची की उपलब्धता :

परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत सभी अभ्यर्थियों की अंकसूची मण्डल की वेबसाइट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी अपने रोल नंबर के आधार पर उल्लेखित वेबसाइट से अंकसूची प्राप्त/मुद्रित कर सकते हैं। मण्डल द्वारा डाक से अंकसूची का प्रेषण नहीं किया जायेगा तथा डुप्लीकेट अंकसूची प्रदाय करने का प्रावधान नहीं है।

3.17 लिखित परीक्षा में निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :-

(अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संतभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी। यदि अभ्यर्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(स) लेखन लिपिक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

1. लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से एक निचली कक्षा का होना चाहिए।
2. लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ-पत्र सहित संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्र अधीक्षक को अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाकर परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित अनुमति प्रदान किया जाना अनिवार्य होगी।

(द) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :-

1. परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाएँ मुफ्त प्रदान की जावेगी, जिसके लिए मण्डल द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जावेगा।
2. ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्षा यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

3.18 मण्डल का क्षेत्राधिकार :-

म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल का कार्य प्रवेश परीक्षा का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा। परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

3.19 अभिलेखों का संधारण :-

मण्डल द्वारा परीक्षा आयोजन उपरान्त अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह तक परीक्षा से संबंधित अभिलेखों का संधारण किया जायेगा। इसके पश्चात् परीक्षा से संबंधित समस्त अभिलेखों/दस्तावेजों को रद्दी घोषित व नष्ट कर दिए जायेंगे।

3.20 न्यायिक क्षेत्राधिकार :-

परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

---0---

प्रारूप-1
(देखें नियम 3.14)

प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन

प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं सहायक ग्रेड-3, निम्न श्रेणी लिपिक एवं पंजीयन लिपिक की संयुक्त चयन परीक्षा-2011 में अनुक्रमांक से परीक्षा केन्द्र..... से सम्मिलित हुआ/हुई हूँ । मेरे द्वारा प्रश्न-पुस्तिका कोड के सेट क्रमांक..... हल किया गया है । इस प्रश्न-पत्र के निम्नलिखित प्रश्न उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण हैं:-

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर.....
आवेदक का नाम.....
परीक्षा का नाम.....
अनुक्रमांक.....
परीक्षा केन्द्र का नाम.....

स्थान
दिनांक

(नोट- यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जा सकेगा)

 अध्याय – 4

 लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

भाग – 1 : मध्यप्रदेश का सामान्य ज्ञान – पूर्णांक-25

मध्यप्रदेश की सामान्य प्रमुख जानकारियों, प्रमुख अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख नदियाँ, प्रमुख सिंचाई योजनायें, पर्यटन (दुर्ग व किले, प्रमुख महल, पौराणिक दर्शनीय एवं प्राकृतिक स्थल, गुफायें, समाधि व मकबरे इत्यादि), मध्यप्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व (राजनीतिक, खिलाड़ी, कलाकार, प्रशासन, लेखक, साहित्यकार, समाजसेवी इत्यादि)।

भाग – 2 : सामान्य हिन्दी – पूर्णांक-25

वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ तथा शब्दों के शुद्ध रूप, शब्दों के स्त्री लिंग, बहुवचन, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन, मुहावरा व उनका अर्थ, अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप, विपरीतार्थक (विलोमार्थक) शब्द, समानार्थक या पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कहावतें एवं लोकोक्तियों के अर्थ, संधि व संधि विच्छेद, क्रिया से भाव वाचक संज्ञा बनाना, रचना एवं रचयिता इत्यादि।

भाग – 3 : प्रारंभिक गणित – पूर्णांक-10

प्रारंभिक गणित – गुणा, भाग, दशमलव अंक, भिन्न (फ्रैक्शन), प्रतिशत, मूलधन, ब्याज, लाभ-हानि, क्षेत्रफल, आयतन आदि के सम्मिलित प्रश्न।

भाग – 4 : कम्प्यूटर ज्ञान – पूर्णांक-40

Operating System Windows 2003-2007, Windows XP, Microsoft Office 2003-2007, Processor & Memory, Database Management System, Computer Languages, Introduction to Internet & Internet Working.